

न्यायालय तहसीलदार बयाना (भरतपुर)

(श्री घनश्याम जोशी तहसीलदार बयाना)

प्र०स०
18/2019

ता० रजु: किरम मुकदमा
14-6-19 91 CR Act

निर्णय दिनांक
20-6-19

सरकार बनाम श्री जीतेन्द्र पुत्र श्री प्रीतम जाति जार साध
निवासी सादपुरा तह० बयाना

अन्तर्गत धारा 91 एल आर एक्ट

निर्णय

पत्रावली पेश हुई। पटवारी हल्का सादपुरा ने एक रिपोर्ट इस आशय की पेश की है। कि ग्राम गाला कुसरा के खसरा नं 455 रकवा 0.66 में से रकवा 0.09 किरम भूमि पर सम्वत 2076 में श्री जीतेन्द्र पुत्र प्रीतम जाति जार नि० सादपुरा तहसील बयाना ने एकका क्रिया कर अतिक्रमण कर लिया है।

हल्का पटवारी रिपोर्ट के आधार पर प्रकरण धारा 91 एल.आर.एक्ट के तहत दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थी/अप्रार्थियों को जरिये नोटिस तलव किया गया। जो शामिल मिसिल है। अप्रार्थी उपस्थित/अनुपस्थित हमने पत्रावली को अवलोकन किया। पत्रावली के अवलोकन के उपरांत न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुंचता है कि अप्रार्थी/अप्रार्थीगण के विरुद्ध कार्यवाही अमल में लायी जावे। अतिक्रमी द्वारा राजकीय सिवायचक/चासगाह भूमि पर अतिक्रमण किया है। अतिक्रमी को अतिक्रमित आराजी से बेदखल करना राज्यहित में आवश्यक है।

अतः आदेश है कि अतिक्रमी के विरुद्ध एकपक्षीय कार्यवाही कर अतिक्रमित खसरा नं 455 रकवा 0.09 वाके ग्राम गाला कुसरा से बेदखल किया जाता है। लगान को 1.71 50 गुणा पैनल्टी राशि 86/- से दण्डित किया जाता है। पैनल्टी की मांग कायमी टी०आर०ए० हाजा से कराई जावे। पैनल्टी वसूली कर खडी फसल को कब्जेराज लेकर फर्द नीलागी/अवैध निर्माण ध्वस्त कर बेदखली बावत हल्का पटवारी/गिरदावर को आदेश जारी हों।

पत्रावली फैसल शुमार होकर वाद तकमील नम्बर से कम हो दाखिल दफतर हो। निर्णय आज दिनांक 20-6-19 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

इस पत्रावली को वाद सामना
वा. के. सं. 04 क पेज नं 2
दिनांक 20/6/19 का वर्ष 2019-20
पैनल्टी रु. 86 फसल नीलागी
को त्रा वका है।

तहसीलदार
बयाना

तहसीलदार
बयाना